न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

1. भेराराम पुत्र श्री जेसाराम प्रजापति, जाति- प्रजापति (कुम्हार), निवासी- कुम्हारों का वास, नवाखेडा, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही
2. खेताराम पुत्र श्री जेसाराम प्रजापति, जाति- प्रजापति (कुम्हार), निवासी- कुम्हारों का वास, नवाखेडा, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला- सिरोही
2. हल्का पटवारी, मोरली, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 32/2020

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नारायण लाल कुम्हार, अपीलार्थीगण की ओर से
2. पेरोकार सरकार
3. हल्का पटवारी, मोरली

-: निर्णय :- **दिनांक 15 दिसम्बर 2020**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम नवाखेडा, पटवार हल्का मोरली के अस्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 338 दिनांक 22.9.2020 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण [illegible] सम्मन जारी किये गये। अपील प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 07.12.2020 को [illegible] संख्या-1 की ओर से पेरोकार सरकार एवं प्रत्यर्थी संख्या-2 (हल्का पटवारी, मोर[illegible] हुए।

(3) प्रकरण में दिनांक 07.12.2020 को बहस सुनी गई। [illegible] के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि राजस्व ग्राम नवाखेडा, पटवार हल्का मोरली में अमकी, पोनकी पिसरान- जेसाराम, पुरीबाई पत्नि जेसाराम, शंकरलाल [illegible] व अपीलार्थी के पिता जेसाराम पुत्र भगाराम कुम्हार, निवासी- नवाखेडा, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही के खातेदारी व अन्य खातेदारों के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि आई हुई जो अब अमकी, पोनकी पिसरान- जेसाराम, पुरीबाई पत्नि जेसाराम व अपीलार्थीगण व शंकरलाल पुत्र जेसाराम कुम्हार व अन्य के खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसके खाता संख्या नया 55 व पुराना 19 खसरा संख्या 282 रकबा 7.18 बीघा, 283 रकबा 0.0900 बीघा, 284 रकबा 13.1300 बीघा, 285 रकबा 0.0300 बीघा, 286 रकबा 11.0300 बीघा व खसरा संख्या 237 रकवा 22.1200 बीघा कुल

.....पेज दो पर

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर ★ सिरोही (राज०) ★

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:49:07 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

किता 6 रकबा 55 बीघा 18 बिस्वा है। उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में भेराराम, खेताराम, शंकरलाल, अमकी, पोनकी, पिसरान- जैसा; मूलाराम पुत्र श्री गमनाराम का 2/5 हक हिस्सा है, जिसमें से पोनकी उर्फ पोनी बहन, अमकी, पुरीबाई ने अपना-अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने पुत्र/सगे भाई अपीलार्थी भेराराम पुत्र जेसाराम प्रजापति, जाति- प्रजापति (कुम्हार) व खेताराम पुत्र श्री जेसाराम प्रजापति, जाति- प्रजापति, निवासी- कुम्हारों का वास, नवाखेडा के पक्ष में रिलीज कर दिया है जिसके रिलीज डीड नम्बर 202003325100556 दिनांक 08.6.2020 है, यह रिलीज डीड उप पंजीयक कार्यालय, शिवगंज से पंजीकृत है। उक्त रिलीज डीड के आधार पर हल्का पटवारी, मोरली ने नामान्तरकरण संख्या 338 दायर किया एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई जांच में उक्त नामानतरकरण सही पाया गया। उक्त नामान्तरकरण में पोनकी उर्फ पोनी बहन, अमकी, पुरीबाई की रिलीज कृषि भूमि में इनके स्थान पर भेराराम व अमराराम का नाम दर्ज किया गया है। यह कि उक्त रिलीज डीड को वर्तमान जमाबन्दी के आधार पर ही निष्पादित की गई है एवं जमाबन्दी के अनुसार ही रिलीज में हिस्से का इन्द्राज किया गया है तथा उक्त रिलीज डीड को तहसीलदार, शिवगंज ने उप पंजीयक, शिवगंज की हैसियत से बाद जांच पंजीयन किया है। यह कि उक्त रिलीज डीड के आधार पर हल्का पटवारी, मोरली द्वारा दायर नामान्तरकरण संख्या 338 की भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई जांच में इन्द्राज सही पाया गया है, लेकिन तहसीलदार, शिवगंज ने नामान्तरकरण संख्या 338 को दिनांक 22.9.2020 को केवल इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि उक्त नामान्तरकरण में हिस्सा दर्ज नही किया गया है। यह कि वर्तमान जमाबन्दी में पक्षकारान के हिस्सा खोला हुआ नही होने के कारण हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण में हिस्सा नही खोला गया था। यह कि प्रत्यर्थी तहसीलदार, शिवगंज द्वारा उक्त रिलीज डीड के आधार पर ग्राम नवाखेडा, पटवार हल्का मोरली के खाता संख्या नया 57 पुराना 18 खसरा संख्या 281 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा का नामान्तरकरण संख्या 337 दिनांक 22.9.2020 को स्वीकृत किया गया है, जबकि उक्त रिलीज डीड के आधार पर खाता संख्या नया 55 पुराना [illegible] खसरा संख्या 282, 283, 284, 285, 286, 287 कुल किता 6 रकबा 55 [illegible] का नामान्तरकरण संख्या 338 को तहसीलदार, शिवगंज ने दिनांक 22.9.[illegible] को [illegible] रुप से अस्वीकृत किया है, जबकि हल्का पटवारी, मेारली के द्वारा रिलीज [illegible] के अनुसार रिलीज की गई कृषि भूमि का नामान्तरकरण दायर किया था जिसकी जांच भू अभिलेख निरीक्षक पालडी एम. के द्वारा गई है जिसमें भी उक्त नामान्तरकरण संख्या 338 सही पाया गया है, लेकिन प्रत्यर्थी तहसीलदार शिवगंज ने रिलीजकर्ता का हिस्सा अपीलार्थीगण के पक्ष में दर्ज हिस्सा स्पष्ट नही करने से नामान्तरकरण को अस्वीकृत किया गया है, जो सरासर गलत किया है। नामान्तरकरण में हिस्सा दर्ज करने का दायित्व हल्का पटवारी, मोरली का था व हल्का पटवारी ही अपने राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थीगण का हिस्सा दर्ज करता लेकिन वर्तमान जमाबंदी में हिस्से नही खोले हुए नही है उसके बावजूद भी प्रत्यर्थी तहसीलदार, शिवगंज ने नामान्तरकरण को गलत रुप से अस्वीकृत किया है। अत: अपीलार्थी की अपील को स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण को निरस्त करके उक्त रिलीज डीड अनुसार अपीलार्थीगण के पक्ष में पुन: नामान्तरकरण

....पेज तीन पर

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:49:07 IST
Reason: Self Attested

दायर कर स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार, शिवगंज को निर्देशित करावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि पटवारी द्वारा कॉलम संख्या-9 में रिलीज डीड कर्ता के हिस्से का भेराराम, खेताराम के पक्ष में दर्ज हिस्सा स्पष्ट नही किया जाने से तहसीलदार, शिवगंज द्वारा नामान्तरकरण संख्या 338 को दिनांक 22.9.2020 को अस्वीकृत किया गया है, जो विधि अनुरुप है। हल्का पटवारी ने बहस में यह व्यक्त किया कि वर्तमान जमाबंदी अनुसार रिलीज डीड के आधार पर नामान्तरकरण को दायर किया गया था, जिसे तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 22.9.2020 को अस्वीकृत किया गया है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, मोरली द्वारा उप पंजीयक कार्यालय, शिवगंज से प्रंजीकृत रिलीज डीड संख्या 202003325100556 दिनांक 08.6.2020 (जो प्रथम पक्षकार अमकी पुत्री जेसाराम पत्नि रामाराम प्रजापति, निवासी- नवाखेडा, हाल- शांतिनगर, सुमेरपुर, पोनकी उर्फ पोनी बहन पुत्री श्री जेसाराम पत्नि श्री भुदाजी प्रजापति, निवासी- नवाखेडा, हाल- पालडी एम. व पुरी बाई पत्नि श्री जेसाराम प्रजापति, निवासी- रेबारीयों का वास, नवाखेडा, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही द्वारा ग्राम नवाखेडा, पटवार हल्का मोरली के खाता संख्या नया 55 पुराना 19 खसरा संख्या 282 रकबा 7.1800 बीघा, 283 रकबा 0.0900 बीघा, 284 रकबा 13.13100 बीघा, 285 रकबा 0.0300 बीघा, 286 रकबा 11.0300 बीघा व 287 रकबा 22.1200 बीघा कुल किता 6 रकबा 55 बीघा 18 बिस्वा खातेदारी भूमि में दर्ज इनके हक हिस्से की भूमि को द्वितीय पक्षकार भेराराम पुत्र जेसाराम प्रजापति व खेताराम पुत्र जेसाराम प्रजापति, निवासीयान- कुम्हारों का वास, नवाखोडा, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही के पक्ष में रिलीज किया गया है) के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 338 दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 22.9.2020 को इस कारण अस्वीकृत किया गया है कि पटवारी द्वारा कॉलम संख्या 9 में रीलीज डीड कर्ता के हिस्से का भेराराम, खेताराम के पक्ष में दर्ज हिस्सा स्पष्ट नहीं किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि हल्का पटवारी, मोरली द्वारा [illegible] नामान्तरकरण संख्या 338 के कॉलम संख्या 9 में रिलीज डीड के हिस्से का भेराराम, खेताराम के पक्ष में दर्ज हिस्सा स्पष्ट नही किया गया है, जबकि नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 9 में रिलीज डीड कर्ता के हिस्से का भेराराम, खेताराम के पक्ष में दर्ज हिस्सा स्पष्ट करना चाहिये था। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

15/12/2020

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:49:07 IST
Reason: Self Attested